पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक 9347 /अका./2021 रायपुर, दिनांकः 31/07/2021

प्रति,

(1) **अध्यक्ष,**
समस्त अध्ययनशाला,

(2) **प्राचार्य,**
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय : दिनांक 2/8/2021 के कक्षाएँ प्रारंभ करने एवं शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अकादमिक कैलेण्डर के पालन बाबत्।

संदर्भ : अपर संचालक, उच्च शिक्षा का पत्र क्र. 1719//341/आउशि/समन्वय/2021, दिनांक 26.07.2021 एवं 1722/213/आउशि/सम./2021, दिनांक 26.07.2021.

* * *

विषयांतर्गत संदर्भांकित संलग्न पत्र का कृपया अवलोकन कर दिनांक 02.08.2021 से भौतिक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के साथ अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

31.7.21

कुलसचिव

संलग्न :- उपरोक्त 9 पृष्ठ।

पृ.क्रमांक 9348 /अका./2021 रायपुर, दिनांकः 31/07/2021

प्रतिलिपि :

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
6. उप कुलसचिव- गोपनीय/परीक्षा/सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक/अनुदान प्रकोष्ठ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (अका.)

shaalok/ALOK08/264

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(फोन – 0771–2638413 फैक्स – 0771–2263412)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1719 / 341 / आउशि / समन्वय / 2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26.07.2021

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त राजकीय / निजी विश्वविद्यालय
   (छ.ग.)

2. प्राचार्य
   समस्त शासकीय / निजी महाविद्यालय
   छत्तीसगढ़

विषय :– **प्रदेश मे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय / निजी विश्वविद्यालय एवं शासकीय / निजी महाविद्यालयों में भौतिक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति।**

संदर्भ :– **छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश कमांक एफ 3–90 / 2020 / 38–1 दिनांक 26.07.2021**

———00———

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र आदेश के द्वारा प्रदेश मे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय / निजी विश्वविद्यालय एवं शासकीय / निजी महाविद्यालयों में दिनांक 02.08.2021 से भौतिक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया संदर्भित आदेश में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनें का कष्ट करें।

संलग्न :– उक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार)

26.7.2021

(डॉ. एच.पी. खैरवार)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 1720 / 341 / आउशि / समन्वय / 2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर संदर्भित आदेश के परिपालन में सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / बस्तर / सरगुजा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

26.7.2021

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

F:\Araj_2021-22\Letter Araj 2021-22.docx

कुलपति सचिवालय आ. क्र. 1430 दि. 27/7/21

कुलसचिव कार्यालय आवक क्रमांक 1922 दिनांक 27/7/21

83

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
— — 0 — —

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26/07/2021

क्रमांक एफ 3–90/2020/38–1 :: राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय/निजी महाविद्यालयों में दिनांक 02.08.2021 से निम्नानुसार भौतिक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

(1) उपरोक्त शिक्षण संस्थानों में पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षायें 02 अगस्त, 2021 से आफलाईन मोड में प्रारंभ की जाएं तथा अंडर ग्रेज्युएट कक्षायें 15 दिन के बाद चरणबद्ध रूप से प्रारंभ की जाएं।

(2) यह कक्षायें उन्हीं जिलों में प्रारंभ की जाएं जिनमें कोरोना की पाजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1 प्रतिशत से कम हो।

(3) विद्यार्थियों को कक्षाओं में 1 दिवस के अंतर पर बुलाया जाए, अर्थात प्रतिदिन केवल आधी संख्या में ही विद्यार्थी बुलाए जाएं।

(4) किसी भी [illegible] को [illegible] सर्दी, खांसी, बुखार आदि हो तो उसे कक्षा में नहीं बैठाया जाए।

(5) ऑनलाईन [illegible] की जाती रहेगी।

(6) किसी भी [illegible] अनिवार्य नहीं होनी।

(7) केन्द्र सरकार [illegible] राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोरोना संक्रमण से बचाव के [illegible] सुनिश्चित किए जाएं।

(8) सभी शिक्षण [illegible] की [illegible] प्रकार से की जाए।

[illegible] के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 26/7

[illegible] आर. [illegible])
[illegible] सचिव
[illegible] उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक एफ 3-90 / 2021 / 38-1, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26 / 07 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर,
4. समस्त संभागीय आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग (छ.ग.),
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
6. समस्त कुलसचिव, राजकीय / निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
7. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर,
8. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर / बिलासपुर / दुर्ग / सरगुजा / बस्तर
9. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर,
11. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
12. आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

— 0 —

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26/07/2021

क्रमांक एफ 3-90/2020/38-1 : राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय/निजी महाविद्यालयों में दिनांक 02.08.2021 से निम्नानुसार भौतिक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

(1) उपरोक्त शिक्षण संस्थानों में पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षायें 02 अगस्त 2021 से आफलाइन मोड में प्रारंभ की जाए तथा अंडर ग्रेज्युएट कक्षाये 15 दिन के बाद चरणबद्ध रूप से प्रारंभ की जाए।

(2) यह कक्षाएं उन्ही जिलों में प्रारंभ की जाए जिनमें कोरोना की पाजिटिविटी दर 7 दिनों तक [illegible]

(3) विद्यार्थियों [illegible] लिया जाए, अर्थात प्रतिदिन केवल [illegible]

(4) [illegible] हों उन्हें उस कक्षा में नहीं बैठा [illegible]

(5) [illegible]

(6) [illegible]

(7) [illegible] कोरोना संक्रमण से [illegible]

[illegible] जाए।

[illegible] नुसार

पृ०क्रमांक एफ 3–80/2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26/07/2021

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर,
4. समस्त संभागीय आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग (छ.ग.),
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ
6. समस्त कुलसचिव, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ
7. सचिव, छत्तीसगढ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर,
8. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा/बस्तर
9. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर,
11. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
12. आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ [illegible] हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय,आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1722 / 213 / आउशि / सम. / 2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26/07/21

प्रति,

1. **कुलसचिव,**
   समस्त विश्वविद्यालय (छ.ग.)
2. **प्राचार्य,**
   समस्त शासकीय महाविद्यालय (छ.ग.)

विषय :– शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक ।

संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–83 / 2018 / 38–2 दिनांक 19.07.2021

——00——

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग.उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कैलेण्डर जारी किया गया है, जो मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

26.7.2021
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1723 / 213 / आउशि / सम / 2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26/7/2021

प्रतिलिपि :–

अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को सूचनार्थ ।

26.7.2021
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

f:\letter note sheet 2020 26-03-2)\letter 05-12-2020.docx561

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
Email-higher-education@cg.gov.in

No.: L-201 22 2043
AD JD/ DD
Section: अकादमिक
Date JUL 2021
C.H.E.

क्रमांक एफ 17–83/2018/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, 19/7/21
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक।
संदर्भः– आपका प्रस्ताव कमांक 1595/213/आउशि/सम./2021 दिनांक 25.06.2021

.....00......

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के संबंध में आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कैलेण्डर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
संलग्नः– यथोपरि।

19/7/21
(गौरीशंकर शर्मा)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

26/7/2021

क्रमांक एफ 17–83/2018/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,
प्रति,

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग., मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़

शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कैलेण्डर

(कोविड–19 महामारी के कारण केवल इसी सत्र हेतु)

क्र.		विवरण	तिथियाँ	
1	प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)			
	(क)	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु	02.08.2021 से 31.08.2021	
	(ख)	अन्य कक्षाओं हेतु	परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर	
	(ग)	प्रवेश प्रकिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से सम्पन्न कराए जाये।		
2	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि		15.09.2021	
3	नियमित कक्षायें प्रारंभ		02.08.2021 (नवीनीकरण विद्यार्थियों हेतु) 01.09.2021 (नवीन विद्यार्थियां हेतु)	
4	वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा		परीक्षा पूर्णता के 15 दिन के अन्दर	
5	पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा		30.09.2021	ऑफलाइन परीक्षाओं के लिये लागू
6	पूरक परीक्षा का आयोजन		(न्यूनतम समय में)	
7	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा		30.10.2021	
8	छात्रसंघ गतिविधियाँ			
	(क)	छात्रसंघ गठन चुनाव प्रकिया एवं शपथ ग्रहण	21.09.2021 से 30.09.2021 (विषम परिस्थितियों में शासन के निर्देश मान्य होंगे।)	
9	खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ :–			
	(क)	खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ (इंडोर आउटडोर)	विषम परिस्थितियों में शासन के निर्देश मान्य होंगे।	
	(ख)	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)		
	(ग)	महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण		
10	एन सी.सी. /एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ :–			
	(क)	वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई 2021 का द्वितीय सप्ताह	
	(ख)	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर 2021 में से कोई एक दिन	
	(ग)	एनसीसी /एनएसएस कैम्प का आयोजन	25.10.2021 से 31.12.2021 के मध्य	
	(घ.)	दीक्षान्त समारोह	फरवरी 2021	

22.6.21

क्र.		विवरण	तिथियाँ
11	अवकाश		
	(अ)	दशहरा अवकाश (3 दिन)	14.10.2021 से 16.10.2021 तक
	(ब)	दीपावली अवकाश (4 दिन)	03.11.2021 से 06.11.2021 तक
	(स)	शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	23.12.2021 से 25.12.2021 तक
	(द)	ग्रीष्मकालीन अवकाश (15 दिन)	16.06.2022 से 30.06..2022 तक
12	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम		
	1	प्रथम यूनिट परीक्षा	05.10.2021
	2	द्वितीय यूनिट परीक्षा	03.11.2021
	3	प्रथम सत्र परीक्षा	01 से 03 दिसम्बर 2021
	4	तृतीय यूनिट परीक्षा	05.01.2022
	5	द्वितीय सत्र परीक्षा	20 से 22 जनवरी 2022
	6	चतुर्थ यूनिट परीक्षा	08.02.2022
	7	प्री– फाइनल परीक्षा	22, 23 एवं 24 फरवरी 2022
13	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम		
	1	वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	26.03.2022 से 09.04.2022
	2	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	16.04.2022 से 15.06.2022

नोट:– अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डो की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक कलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :–

1. प्रत्येक विषय में ऑनलाइन / ऑफलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं कक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कैम्प / खेलकूद / राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
4. ऑनलाइन / ऑफलाइन कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जावेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालको को सूचना दी जावेगी।
6. ऑनलाइन / ऑफलाइन कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जावेगी।

RP 22.6.21

6. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियाँ प्रदान करेंगें।

7. कोविड–19 के प्रभाव के कारण विलंब से सत्र प्रारंभ हो रहा है। अतः पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अध्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये।

8. अध्ययन–अध्यापन की पद्धति में सुधार करते हुए महाविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी मानक का विस्तार किया जाये। विद्यार्थियों को ई–लर्निंग पद्धति से अवगत कराया जाये एवं शासन के ई–लर्निंग पोर्टल का उपयोग अध्यापन हेतु किया जाये।

9. गूगल क्लासरूम, गूगल हैंगआउट, वेबेक्स मिटिंग, यू–ट्यूब स्ट्रीमिंग, स्वयंम प्लेटफार्म एवं स्वयम प्रभा जैसे ऑनलाईन माध्यम की सहायता से अध्ययन–अध्यापन किया जाए।

10. अधिकतम 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम ऑनलाईन माध्यम से तथा अधिकतम 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम परम्परागत तरीके /ऑफलाइन से पूर्ण कराया जाए।

——000——

22.6.21 22/06/21 22.6.21 22/6/21

26.7.2021
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)